दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

पत्रांक : सम्बद्धता/सीटनि0/2017-18/3041

दिनांक : 20/07/2017

सेवा में

प्राचार्य / प्रबन्धक,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0 कालेज, गोरखपुर

विषय— शैक्षिक सत्र 2017—18 हेतु सीट निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2017—18 हेतु आपके महाविद्यालय में संचालित विषयों / पाठ्यक्रमों का सीट निर्धारण सशर्त निम्नवत् है—

शर्तें—

- सीट निर्धारण के सम्बन्ध में सूचित करना है कि जिन विषयों / पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुमोदित न हों उस विषयों / पाठ्यक्रम में कदापि प्रवेश न करें तथा जिन विषयों / पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2017—18 में सम्बद्धता न हो उन विषयों / पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश न करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा विश्वविद्यालय उन प्रवेशित छात्रों की परीक्षा नहीं करायेगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित की गयी सीट से सम्बन्धित (स्ववित्तपोषित महाविद्यालय / पाठ्यक्रम / विषय की दशा में) शिक्षक अनुमोदन पत्र, अद्यतन कार्यरत शिक्षकों की सूची एवं उनको बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान से सम्बन्धित बैंक पासबुक की छायाप्रति फोटो के साथ प्रत्येक दशा में पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटन के सम्बन्ध में यदि महाविद्यालय को कोई आपत्ति हो तो उस विषय / पाठ्यक्रम का अद्यतन सम्बद्धता आदेश, कक्षा संचालन, शिक्षक चयन अनुमोदन, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण पत्र, संविदा पत्र तथा अद्यतन वेतन भुगतान से सम्बन्धित बैंक पासबुक की छायाप्रति फोटो के साथ 21 दिन के भीतर आवेदन करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सीट आवंटन में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
- महाविद्यालय में जिन विषयों / पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2017—18 में अस्थाई / स्थाई सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी है। उन विषयों / पाठ्यक्रमों का कक्षा संचालन की अनुमति शैक्षिक सत्र 2017—18 हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में लिये गये प्रवेश के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा विश्वविद्यालय उन प्रवेशित छात्रों का परीक्षा नहीं करायेगा।

सीट निर्धारण—

5 चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0 कालेज, गोरखपुर				
	स्नातक कला			
1	हिन्दी	1		एक वर्ग / कक्षा में सीटों / छात्रों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी।
2	शिक्षाशास्त्र	1		
3	प्राचीन इतिहास	1		
4	समाजशास्त्र	1		
5	गृहविज्ञान	2		
6	कम्प्यूटर अप्लीकेशन	1		
7	संस्कृत	1		
8	अंग्रेजी	1		
9	राजनीतिशास्त्र	1		
10	ललितकला	1		
11	संगीत (गायन)	1		
	योग	60x11	660	
	स्नातकोत्तर कला			
1	राजनीतिशास्त्र	2	60	
2	शिक्षाशास्त्र	2	40	एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की शर्त पर
3	गृहविज्ञान	3	40	एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की शर्त पर
4	दृश्यकला	3	40	
	स्नातक विज्ञान			
1	गृहविज्ञान	3	40	
	स्नातक वाणिज्य			
1	बी0काम0	2	180	एक वर्ग / कक्षा में सीटों / छात्रों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी। एक शिक्षक नियुक्त करने की शर्त पर

नोट— शैक्षिक सत्र 2017—18 में प्रवेशित छात्र / छात्राओं की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को 30 जुलाई, 2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः उपर्युक्त शर्तों एवं सीट निर्धारण से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव